

शवों का अन्तिम संस्कार  
अति महत्वपूर्ण  
संख्या-536 / 9-7-2021-27(ज) / 2014टी0सी0-1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
नगर विकास विभाग  
उ0प्र0 शासम।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, न0पा0परि0 / नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक: 07 मई, 2021

विषय: कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई मृत्यु की दशा में शवों का निःशुल्क अन्तिम संस्कार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा- 114(20) तथा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम- 1916 की धारा- 7(G) में दी गयी व्यवस्थानुसार नगरीय निकाय की सीमा के अन्तर्गत मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु अन्त्येष्टि स्थलों, कब्रिस्तानों एवं शवदाह गृहों की व्यवस्था करना नगरीय निकायों का मूल कर्तव्य है।


2. अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुयी मृत्यु की दशा में नगरीय निकायों की सीमान्तर्गत उपरोक्त शवों के अन्तिम संस्कार निःशुल्क कराया जाय। अन्तिम संस्कार में कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उपरोक्त कार्यवाही हेतु होने वाला व्यय का वहन नगरीय निकायों द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जा सकेगा। यह व्यय एक प्रकरण में अधिकतम रू0 5000/- तक होगा।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-536(1) / नौ-7-2021

प्रतिलिपि-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,  
  
07/05-2021  
(कल्याण बनर्जी)  
उप सचिव।